

## कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः—

मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 233/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौड़ा द्वारा से चमेली चौक तक मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु 3.0100 है० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

आरक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल :- 3.0100 है०  
सिविल भूमि का क्षेत्रफल :- शून्य

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित परियोजना पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत, भारत सरकार की स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। प्रस्तावित मोटर मार्ग पर अभी किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।

✓  
सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०,  
ऋषिकेश

अधिशासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०,  
ऋषिकेश कृष्ण

Ar  
वन क्षेत्राधिकारी Qam  
रायपुर रेज अमीन ३५२००  
मसूरी वन प्रभाग

Ar  
प्रभागीय वनाधिकारी  
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

उप प्रभागीय वनाधिकारी  
मसूरी वन प्रभाग  
देहरादून